

D-347

14-2-18

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 44/17 और वर्ष 2018

श्री चन्द्र प्रकाश प्रजापति पुत्र श्री मोहन लाल प्रजापति व गजानन्द पुत्र श्री गोपाल बहैसियत मुख्याराम श्रीमती गुलाबी देवी पत्नि श्री स्व. गोपाल लाल, श्रीमती गुलाब देवी पत्नि श्री रामनारायण, मोहन लाल, जगदीश, उत्तम चन्द, श्री लालचन्द पुत्रान् स्व. श्री रामनारायण निवासीगण नाहरवाली का बाढ, ग्राम व पोस्ट हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।

विषय:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 14-2-18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख. नं.	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)	स्वामित्व
जिला व तहसील जयपुर	हाथोद	427/1	3.01 में से 1.10	गुलाबीदेवी पत्नि गोपाललाल हि. 1/2 गुलाबदेवी पत्नि रामनारायण, मोहनलाल, जगदीश, उत्तमचन्द, लालचन्द पि. रामनारायण हि. 1/2 जाति कुम्हार सा.देह।
		433/2	3.19	
		434	3.17 में से 2.10	
कुल		3	10 बीघा 17 बिस्वा में से 7 बीघा 19 बिस्वा	

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है ग्राम हाथोद, तहसील व जिला जयपुर के खसरा 427/1 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 433/2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 434 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से 7 बीघा 19 बिस्वा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिप्राय अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जयपुरा, जयपुर द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
- (7) यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जयपुरा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।
- यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14-2-18 को पारित किया गया।

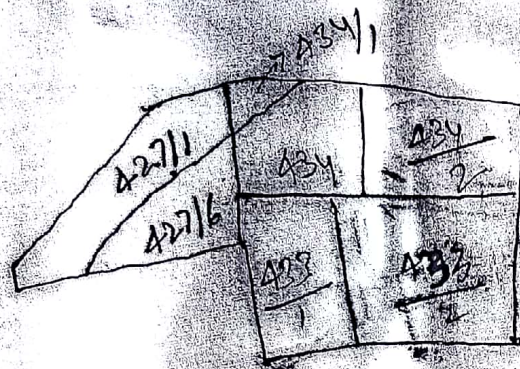
(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त, जिला-42
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

मकाल मकाला व ठका डेज

रुद्रि - धर्माद

दे - अमरु

दिला कभपुर (मकाल)



5542

02/08/18

मकाल

